

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 363]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 7 जुलाई 2022—आषाढ 16, शक 1944

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2022

क्रमांक :: एफ 3-8/2022/26-1 :: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्वारा, अनुसूची-एक में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना में, अनुसूची-दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये आरक्षित पद चिन्हांकित करती है।

अनुसूची-एक

(1) खेल एवं युवा कल्याण विभाग

अनुसूची-“दो”

निःशक्तजनों के लिये पदों का चिन्हांकन

विभाग : खेल एवं युवा कल्याण विभाग

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिए चिन्हांकित पदों की संख्या का कुल योग (6 %)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या			योग (6+7+8+9)	अभ्युक्ति	
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुछ रोग मूल्त, बौनापन, एरिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5 %)			ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 %)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
द्वितीय श्रेणी	जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी/ सहायक संचालक	42	42	3	0	2	1	0	3	
तृतीय श्रेणी	प्रशिक्षक	8	8	0	0	0	0	0	0	
	प्रशासक	1	1	0	0	0	0	0	0	
	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	2	2	0	0	0	0	0	0	
	कम्प्यूटर ऑपरेटर	5	5	0	0	0	0	0	0	
	सहायक ग्रेड-3	127	127	9	2	3	2	2	9	
	वाहन चालक	6	6	0	0	0	0	0	0	
	वार्डन	1	1	0	0	0	0	0	0	
	भृत्य	68	68	4	1	1	1	1	4	
	माली	1	1	0	0	0	0	0	0	
	रसोईया	2	2	0	0	0	0	0	0	
	स्वीपर	1	1	0	0	0	0	0	0	
	योग	264	264	16	3	6	4	3	16	

Bhopal, the 7th July 2022

No.F-3-8/2022/26-1 :: In exercise of the powers conferred by section 101 of the Rights of Person with Disabilities Act, 2016 (No.49 of 2016), for the identification of the posts for the disabled persons, under the provisions of Rule 17 of the Madhya Pradesh Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, committee for identification of posts, hereby, identifies the posts reserved for the disabled persons as per the specifications prescribed in Schedule-2 in the establishment of Sports & Youth Welfare Department of Schedule-1, namely:-

Schedule - 1

- (1) Sports & Youth Welfare Department

Schedule - 2

Identification of Posts for the Disabled Persons
Department- Sports & Youth Welfare Department

Category	Post/Cadre	Posts sanctioned for direct recruitment	Total	Total Posts Identified for the disabled (According to 6 percent)	Identified Post/Cadre and no.				Total (6+7+8+9)	Remark
					Visually impaired and low vision (1.5%)	Hearing Impaired Deaf and Hard of Hearing (1.5%)	Locomotor Disability including Cerebral Palsy, Leprosy cured person, Dwarfism, Acid Attack Victim, Muscular Dystrophy (1.5%)	Autism, Intellectual Disability, Specific learning Disability, Mental Illness, Multiple Disability (1.5%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Class - II	District Sports & Youth Welfare Officer / Assistant Director	42	42	3	0	2	1	0	3	
Class - III	Coach	8	8	0	0	0	0	0	0	
	Administrator	1	1	0	0	0	0	0	0	
	Stenographer Grade-3	2	2	0	0	0	0	0	0	
	Computer Operator	5	5	0	0	0	0	0	0	
	Assistant Grade-3	127	127	9	2	3	2	2	9	
	Driver	6	6	0	0	0	0	0	0	
	Warden	1	1	0	0	0	0	0	0	

Class - IV	Peon	68	68	4	1	1	1	1	1	1	1	4
	Gardener	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cook	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sweeper	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	264	264	16	3	6	4	3	4	3	16	16

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह, उपसचिव.